प्रेस विज्ञप्ति

02.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 31.07.2024 को दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में) के 20 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्री बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल हिमाचल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल, श्री हरिहर अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, नीलकंठ अस्पताल और उनके प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति क्रमशः डॉ. विजेंद्र मिन्हास, रघुबीर सिंह बाली, डॉ. प्रदीप मक्कड़, डॉ. राजेश शर्मा, श्री मनीष भाटिया, डॉ. मनोज सूद और डॉ. हेमंत कुमार के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने श्रीमती किरण सोनी, श्री बांके बिहारी अस्पताल, ऊना, (हिमाचल प्रदेश) और अन्य के खिलाफ फर्जी ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. आईडी कार्ड बनाने के लिए राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी और एसीबी), ऊना (एचपी) द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि बांके बिहारी अस्पताल के अलावा श्री बालाजी अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, फोर्टिस अस्पताल और श्री हरिहर अस्पताल आदि ने ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. योजना का लाभ उठाया। जांच के दौरान, 373 फर्जी आयुष्मान कार्डों की पहचान की गई है, जिनमें उक्त आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को दिए गए उपचारों के नाम पर सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 40.68 लाख रुपये (लगभग) का दावा किया गया था। ऐसे फर्जी लाभार्थियों की सूची में रजनीश कुमार (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड संख्या पी.पी.के.जेड.यू.26एच7) और श्रीमती पूजा धीमान (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड संख्या पी.आई.सी.एच.डब्लू.जी.आई.08) के नाम शामिल हैं, जिन्होंने सत्यापन के बाद ऐसे किसी भी पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड के होने या उसके बारे में कोई जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने इनमें से किसी भी अस्पताल में ऐसा कोई उपचार नहीं कराया। इसके अलावा, अस्पतालों ने ऐसे उपचारों/सर्जरी/भर्ती के लिए दावे किए हैं, जो वास्तव में रोगी को कभी दिए ही नहीं गए/किए गए। श्रीमती रक्षा देवी (जिनकी पी.एम.जे.ए.वाई. **आईडी** – **पीएलओई81आरआर2क्यु** है) को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, हालांकि, अस्पताल ने बेईमानी और अवैध रूप से श्रीमती रक्षा देवी के पैकेज को रोक दिया। जांच में यह भी पता चला कि इन अस्पतालों को अवैध प्रथाओं और प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया था। ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. योजना के कथित उल्लंघन के लिए हिमाचल प्रदेश में अब तक 8937 आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। अब तक की गई जांच के अनुसार, इस मामले में लगभग 25 करोड़ रुपये की अपराध आय (**पीओसी**) शामिल है।

ईडी की तलाशी में 88 लाख रुपये (लगभग) नकद, 04 बैंक लॉकर और 140 संबंधित बैंक खाते मिले। इसके अलावा, अचल और चल संपत्तियों, खातों की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के अलावा, मोबाइल फोन/आईपैड, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के रूप में 16 डिजिटल डिवाइस पाए गए जिनमें ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई., हिमकेयर और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित दावों और दस्तावेजों के बारे में जानकारी थी। जब्त किए गए दस्तावेजों में अस्पतालों के दावों के बारे में जानकारी है और इसमें 23,000 मरीजों के लिए 21 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं। तलाशी में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें सरकार को किए गए दावों और अस्पताल में मौजूद फाइलों में मौजूद वास्तविक आंकड़ों में भारी अंतर था। यह भी पाया गया कि मरीजों के नाम पर किए गए दावों से संबंधित कई फाइलें गायब हो गई हैं।

आगे की जांच जारी है।